

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2014/माघ 2, 1935

No. 32]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2014/MAGHA 2, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 44(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कर्नाटक सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2014 होगा ।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “कर्नाटक” शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“कर्नाटक

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद	171
सरकार के मुख्य सचिव	1
अपर मुख्य सचिव	1
अपर मुख्य सचिव और विकास आयुक्त	1
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग	1
अपर मुख्य सचिव, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग	1
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग	1
अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग	1
अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ई/ओ प्रधान सचिव, सरकार डीपीएआर(निर्वाचन)	1
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	1
निवासी आयुक्त, कर्नाटक भवन, नई दिल्ली	1
डीजी, एआर, एंड ट्रेग., एटीआई, मैसूर	1
सरकार के प्रधान सचिव	15
प्रबंध निदेशक, बेंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और जलनिकास बोर्ड	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य वित्त निगम	1
आयुक्त, बृहत्त बेंगलोर महानगर पालिका	1
सरकार के सचिव	18
वाणिज्य कर आयुक्त	1
आई जी, पंजीयक और स्टाम्प आयुक्त	1
उत्पाद-शुल्क आयुक्त	1
आयुक्त, औद्योगिक विकास तथा निदेशक, उद्योग और वाणिज्य	1
राज्यपाल के सचिव	1
सहकारी समितियों के पंजीयक और निदेशक, सहकारी लेखापरीक्षा	1
आयुक्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति	1
आयुक्त, परिवहन और सड़क सुरक्षा	1
आयुक्त, लोक शिक्षण, बेंगलोर	1
आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा	1
आयुक्त, कृषि	1
आयुक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं	1
आयुक्त, वॉटरशेड विकास और ई/ओ सचिव, कृषि और बागवानी	1
श्रम, आयुक्त	1

आयुक्त, सामाजिक कल्याण	1
आयुक्त, रोजगार और प्रशिक्षण	1
सदस्य, केएटी	1
आयुक्त, बेंगलोर विकास प्राधिकरण	1
आयुक्त, कर्नाटक हाऊसिंग बोर्ड	1
आयुक्त, ग्रामीण विकास	1
आयुक्त, बेंगलोर जल आपूर्ति और जलनिकास बोर्ड	1
पंजीयक लोकायुक्त	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम	1
प्रबंध निदेशक, बेंगलोर महानगर परिवहन निगम	1
सचिव, केपीएससी	1
निदेशक, कृषि विपणन	1
निदेशक, पी.यू. शिक्षा	1
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन	1
आयुक्त, धार्मिक और धर्मार्थ निधि	1
उप सचिव, डीपीएआर (सेवाएं) डीपीएआर एवं उप सचिव (बजट एवं संसाधन) वित्त मंत्रालय	2
निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1
निदेशक, आई.टी. एंड बी.टी.	1
निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता अभिकरण तथा ई/ओ अपर/संयुक्त सचिव, सरकार आरडी एंड पीआर विभाग	1
उपायुक्त	30
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत	30
निदेशक, ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम और ईओ एस/जेएस/डीएस, सरकार आरडीपीआर विभाग	1
मिशन निदेशक, राज्य जल और स्वच्छता मिशन तथा ई/ओ एस/जेएस/डीएस, सरकार आरडीपीआर	1
निदेशक, बागवानी और निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा ई/ओ एस/जेएस/डीएस, सरकार बागवानी विभाग	1
निदेशक, खान और भूविज्ञान तथा ई/ओ एस/जेएस/डीएस, सरकार सी एंड आई विभाग	1
प्रबंध निदेशक, राजीव गांधी ग्रामीण हाऊसिंग निगम लिमिटेड	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य राजमार्ग समुन्नति कार्यक्रम	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य पेय-पदार्थ निगम लिमिटेड	1

प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य लघु उद्योग विकास निगम	1
प्रबंध निदेशक, मैसूर मिनरल्स लिमिटेड	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक हथकरघा विकास निगम	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण अवसंरचना विकास निगम	1
प्रबंध निदेशक, कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण निदेशालय	1
प्रबंध निदेशक, कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड	1
प्रबंध निदेशक, कावेरी जल भाग्य निगम लिमिटेड	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास निगम	1
प्रबंध निदेशक, बीईएससीओएम	1
प्रबंध निदेशक, एचईएससीओएम	1
प्रबंध निदेशक, जीईएससीओएम	1
प्रबंध निदेशक, सीएचईएससीओएम	1
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन	1
निदेशक, पर्यटन	1
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड	1
आयुक्त, हुबली-धारवाड़ नगर निगम	1
आयुक्त, मैसूर नगर निगम	1

1.	कुल वरिष्ठ इयूटी पद	171
2.	सीडीआर उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	68
3.	एसडीआर उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	42
4.	टीआर उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	5
5.	एलआर और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	28
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	95
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	219
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	314

[सं.11031/2/2013-अ.भा.से.-II(क)"]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी (1):—इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, कर्नाटक संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 299 थी ।

टिप्पणी (2):—मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात्, ये कर्नाटक संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	तिथि	क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	तिथि
1.	377(अ)	26.8.74	11.	925	17.10.81
2.	1349	21.12.74	12.	332(अ)	15.4.83
3.	228	22.2.75	13.	34	21.1.84
4.	292(अ)	23.5.75	14.	1277(अ)	27.12.86
5.	7(अ)	1.1.76	15.	89	14.2.87
6.	25(अ)	17.1.76	16.	841	14.11.87
7.	821(अ)	27.9.76	17.	716	1.12.90
8.	23(अ)	30.1.80	18.	646	9.11.91
9.	219(अ)	21.4.80	19.	193	9.5.92
10.	46(अ)	5.2.81	20.	587	26.12.92
21.	94(अ)	11.2.94	26.	461(अ)	25.6.1999
22.	442	3.9.94	27.	381	29.10.2004
23.	319(अ)	31.3.95	28.	415(अ)	05.06.2007
24.	554	14.12.96	29.	900(अ)	30.12.2008
25.	739(अ)	31.12.97	30.	188(अ)	24.03.2009

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, 22nd January, 2014

G.S.R. 44(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Karnataka, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of cadre Strength) Amendment Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading “Karnataka” and the entries occurring there under, the following shall be substituted namely:-

“Karnataka

Senior Duty Posts under the State Government		171
	Chief Secretary to Government	1
	Additional Chief Secretary	1
	Additional Chief Secretary and Development Commissioner	1
	Additional Chief Secretary, Home Department	1
	Additional Chief Secretary, Forests, Ecology and Environment Department	1
	Additional Chief Secretary, Finance Department	1
	Additional Chief Secretary, Urban Development Department	1
	Additional Chief Secretary, Energy Department	1
	Chief Electoral Officer & E/o Principal Secretary to Govt. DPAR(Elections)	1

	Principal. Secretary to CM	1
	Resident Commissioner, Karnataka Bhavan, New Delhi	1
	DG, AR & Trg., ATI, Mysore	1
	Principal Secretary to the Govt.	15
	Managing Director, Bangalore Metro Rail Corporation Limited	1
	Managing Director, Karnataka Power Corporation Limited	1
	Managing Director, Karnataka Urban Water Supply & Drainage Board	1
	Managing Director, Karnataka State Road Transport Corporation Limited	1
	Managing Director, Karnataka Power Transmission Corporation Limited	1
	Managing Director, Karnataka State Finance Corporation	1
	Commissioner, Bruhat Bangalore Mahanagara Palike	1
	Secretary to Government	18
	Commissioner for Commercial Taxes	1
	IG of Registration & Commissioner of Stamps	1
	Commissioner for Excise	1
	Commissioner for Industrial Development and Director of Industries and Commerce	1
	Secretary to Governor	1
	Registrar of Co-op. Societies and Director of Co-operative Audit	1
	Commissioner for Food & Civil Supplies	1
	Commissioner for Transport & Road Safety	1
	Commissioner for Public Instructions, Bangalore	1
	Commissioner for Collegiate Education	1
	Commissioner for Agriculture	1
	Commissioner for Health & Family Welfare Services	1
	Commissioner for Watershed Development & E/o Secy. Agriculture & Horticulture	1
	Commissioner for Labour	1
	Commissioner for Social Welfare	1
	Commissioner for Employment & Training	1
	Member, KAT	1
	Commissioner, Bangalore Development Authority	1
	Commissioner, Karnataka Housing Board	1
	Commissioner, Rural Development	1
	Chairman, Bangalore Water Supply & Sewerage Board	1
	Registrar Lokayukta	1
	Managing Director, Karnataka State Industrial Infrastructure Development Corporation	1
	Managing Director, Karnataka State Tourism Development Corporation	1
	Managing Director, Bangalore Metropolitan Transport Corporation	1
	Secretary, KPSC	1
	Director of Agricultural Marketing	1
	Director of P.U Education	1
	Director of Municipal Administration	1
	Commissioner for Religious & Charitable Endowment	1

	Deputy Secretary, DPAR (Services) DPAR & Deputy Secretary (Budget & Resources) Finance Department	2
	Director, Women & Child Welfare Dept.	1
	Dir. I.T & B.T	1
	Director, Karnataka Rural Water Supply & Sanitation Agency & E/o Addl./Jt. Secy. to Govt. RD & PR Dept.	1
	Deputy Commissioner	30
	Chief Executive Officer, Zilla Panchayat	30
	Director, Rural Energy Programme & EO AS/JS/DS to Govt. RDPR Department	1
	Mission Director, State Water & Sanitation Mission & E/o AS/JS/DS to Govt. RDPR	1
	Director Horticulture & Director National Horticulture Mission & E/o AS/JS/DS to Govt. Horticulture Department	1
	Director Mines & Geology & E/o AS/JS/DS to Govt. C&I Department	1
	Managing Director, Rajiv Gandhi Rural Housing Corporation Limited	1
	Managing Director, Karnataka State Highways Improvement Programme	1
	Managing Director, Karnataka State Beverages Corporation Limited	1
	Managing Director, Karnataka State Small Scale Industries Development Corporation	1
	Managing Director, Mysore Minerals Limited	1
	Managing Director, Karnataka Handlooms Development Corporation	1

	Managing Director, Karnatka Rural Infrastructure Development Corporation	1
	Managing Director, Directorate of Command Areas Development Authority	1
	Managing Director, Cauvery Neeravary Nigam Limited	1
	Managing Director, Kaveri Jal Bhagya Nigam Limited	1
	Managing Director, Karnataka Urban Infrastructure Development Corporation	1
	Managing Director, BESCO	1
	Managing Director, HESCO	1
	Managing Director, GESCOM	1
	Managing Director, CHESCO	1
	Director, Municipal Administration	1
	Director, Tourism	1
	Chief Executive Officer, Karnataka Industrial Areas Development Board	1
	Commissioner, Hubli-Dharwad Municipal Corporation	1
	Commissioner, Mysore Municipal Corporation	1
1	Total Senior Duty Posts	171
2	CDR not exceeding 40% of item 1 above	68
3	SDR not exceeding 25% of Item 1 above	42

4	TR not exceeding 3.5% of Item 1 above	5
5	LR and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	28
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1,2,3& 4 above	95
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	219
	Total Authorized Strength	314

[No. 11031/2/2013- AIS-II (A)]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (Services)

Note (1) :—Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Karnataka Cadre was 299.

Note (2) :—The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Karnataka Cadre by the following GSR Nos. and dates:

S. No.	G.S.R. No.	Date	S. No.	G.S.R. No.	Date
1.	377E	26.8.74	16.	841	14.11.87
2.	1349	21.12.74	17.	716	1.12.90
3.	228	22.2.75	18.	646	9.11.91
4.	292E	23.5.75	19.	193	9.5.92
5.	7E	1.1.76	20.	587	26.12.92
6.	25E	17.1.76	21.	94E	11.2.94
7.	821E	27.9.76	22.	442	3.9.94
8.	23E	30.1.80	23.	319E	31.3.95
9.	219E	21.4.80	24.	554	14.12.96
10.	46E	5.2.81	25.	739E	31.12.97
11.	925	17.10.81	26.	461E	25.6.1999
12.	332E	15.4.83	27.	381	29.10.2004
13.	34	21.1.84	28.	415E	05.06.2007
14.	1277E	27.12.86	29.	900E	30.12.2008
15.	89	14.2.87	30.	188E	24.03.2009

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 45(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, कर्नाटक सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :—

“अनुसूची II भाग क” में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों” की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली ‘कर्नाटक’ प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

“कर्नाटक

सरकार के मुख्य सचिव	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव और विकास आयुक्त	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग	80,000/- रु. (नियत)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ई/ओ प्रधान सचिव, सरकार डीपीएआर(निर्वाचन)	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
निवासी आयुक्त, कर्नाटक भवन, नई दिल्ली	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
डीजी, एआर, एंड ट्रेग., एटीआई, मैसूर	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
सरकार के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रबंध निदेशक, बेंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और जलनिकास बोर्ड	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य वित्त निगम	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-

आयुक्त, बृहत् बेंगलोर महानगर पालिका	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
सरकार के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
वाणिज्य कर आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0

आई जी, पंजीयक और स्टाम्प आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
उत्पाद-शुल्क आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, औद्योगिक विकास तथा निदेशक, उद्योग और वाणिज्य	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
राज्यपाल के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
सहकारी समितियों के पंजीयक और निदेशक, सहकारी लेखापरीक्षा	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, परिवहन और सड़क सुरक्षा	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, लोक शिक्षण, बेंगलोर	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, कृषि	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, वॉटरशेड विकास और ई/ओ सचिव, कृषि और बागवानी	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
श्रम, आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, सामाजिक कल्याण	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, रोजगार और प्रशिक्षण	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
सदस्य, केएटी	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, बेंगलोर विकास प्राधिकरण	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, कर्नाटक हाऊसिंग बोर्ड	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, ग्रामीण विकास	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, बेंगलोर जल आपूर्ति और जलनिकास बोर्ड	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
पंजीयक लोकायुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
प्रबंध निदेशक, बेंगलोर महानगर परिवहन निगम	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0

(ख) “ अनुसूची II- भाग ख” में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में ‘कर्नाटक’ शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

सचिव, केपीएससी

निदेशक, कृषि विपणन

निदेशक, पी.यू. शिक्षा

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन

आयुक्त, धार्मिक और धर्मार्थ निधि

उप सचिव, डीपीएआर (सेवाएं) डीपीएआर एवं उप सचिव (बजट एवं संसाधन) वित्त मंत्रालय
निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग
निदेशक, आई.टी. एंड बी.टी
निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता अभिकरण तथा ई/ओ अपर/संयुक्त सचिव, सरकार आरडी
एंड पीआर विभाग

उपायुक्त

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत
निदेशक, ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम और ईओ एएस/जेएस/डीएस, सरकार आरडीपीआर विभाग
मिशन निदेशक, राज्य जल और स्वच्छता मिशन तथा ई/ओ एएस/जेएस/डीएस, सरकार आरडीपीआर
निदेशक, बागवानी और निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा ई/ओ एएस/जेएस/डीएस, सरकार बागवानी
विभाग
निदेशक, खान और भूविज्ञान तथा ई/ओ एएस/जेएस/डीएस, सरकार सी एंड आई विभाग
प्रबंध निदेशक, राजीव गांधी ग्रामीण हाऊसिंग निगम लिमिटेड
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य राजमार्ग समुन्नति कार्यक्रम
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य पेय-पदार्थ निगम लिमिटेड
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य लघु उद्योग विकास निगम
प्रबंध निदेशक, मैसूर मिनरल्स लिमिटेड
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक हथकरघा विकास निगम
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण अवसंरचना विकास निगम
प्रबंध निदेशक, कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण निदेशालय
प्रबंध निदेशक, कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड
प्रबंध निदेशक, कावेरी जल भाग्य निगम लिमिटेड
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण अवसंरचना विकास निगम
प्रबंध निदेशक, बीईएससीओएम
प्रबंध निदेशक, एचईएससीओएम
प्रबंध निदेशक, जीईएससीओएम
प्रबंध निदेशक, सीएचईएससीओएम
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
निदेशक, पर्यटन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड
आयुक्त, हुबली-धारवाड़ नगर निगम
आयुक्त, मैसूर नगर निगम

[सं.11031/2/2013-अ.भा.से.-II(ख)"]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी :-मुख्य नियम 20.03.2008 की सा.का.नि. 213(अ), द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. सं.665(अ), दिनांक 19.09.2008, 123(अ), दिनांक

15.04.2009, सा.का.नि. सं. 542(अ), दिनांक 21.07.2009, सा.का.नि. सं. 572(अ), दिनांक 13.08.2009, सा.का.नि. सं. 820 दिनांक 12.11.2009, सा.का.नि. सं. 72(अ), दिनांक 10.02.2010, सा.का.नि. सं. 102(अ), दिनांक 25.2.2010, सा.का.नि. सं. 191(अ), दिनांक 12.03.2010, सा.का.नि. सं. 298(अ), दिनांक 08.04.2010, सा.का.नि. सं. 397(अ), दिनांक 11.05.2010, सा.का.नि. सं. 404(अ), दिनांक 13.05.2010, सा.का.नि. सं. 413(अ), दिनांक 17.05.2010, सा.का.नि. सं. 432(अ), दिनांक 20.05.2010, सा.का.नि. सं. 434(अ), दिनांक 20.05.2010, सा.का.नि. सं. 451(अ), दिनांक 26.05.2010, सा.का.नि. सं. 689(अ), दिनांक 19.08.2010, सा.का.नि. सं. 836(अ), दिनांक 13.10.2010, सा.का.नि. सं. 899(अ), दिनांक 09.11.2010, सा.का.नि. सं. 954(अ), दिनांक 06.12.2010, सा.का.नि. सं. 920(अ), दिनांक 30.12.2011, सा.का.नि. सं. 94(अ), दिनांक 16.02.2012, सा.का.नि. सं. 115(अ), दिनांक 28.03.2012, सा.का.नि. सं. 325(अ), दिनांक 26.04.2012, सा.का.नि. सं. 941(अ), दिनांक 28.12.2012, सा.का.नि. सं. 55(अ), दिनांक 31.01.2013, सा.का.नि. सं. 104(अ), दिनांक 18.02.2013, सा.का.नि. सं. 602(अ), दिनांक 06.09.2013 और सा.का.नि. सं. 604(अ), दिनांक 06.09.2013 द्वारा संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2014

G.S.R. 45(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Karnataka hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2014.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007 :—

In “Schedule II-Part A” posts carrying pay above the senior scale of pay of the “Indian Administrative Service under the State Governments”, in the Table, for the entry ‘Karnataka’ occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

“Karnataka

Chief Secretary to Govt.	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary and Development Commissioner	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary, Home Department	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary, Forests, Ecology and Environment Department	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary, Finance Department	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary, Urban Development Department	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary, Energy Department	Rs.80000/-(fixed)

Chief Electoral Officer & E/o Principal Secretary to Govt. DPAR(Elections)	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary to CM	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Resident Commissioner, Karnataka Bhavan, New Delhi	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
DG, AR & Trg., ATI, Mysore	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secy. to the Govt.	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual

	increment not exceeding 3%) 79000/-
Managing Director, Bangalore Metro Rail Corporation Limited	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Managing Director, Karnataka Power Corporation Limited	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Managing Director, Karnataka Urban Water Supply & Drainage Board	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Managing Director, Karnataka State Road Transport Corporation Limited	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Managing Director, Karnataka Power Transmission Corporation Limited	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Managing Director, Karnataka State Finance Corporation	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Commissioner, Bruhat Bangalore Mahanagara Palike	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Secretary to Government	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Commercial Taxes	PB-4 + GP Rs.10000/-
IG of Registration & Commissioner of Stamps	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Excise	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Industrial Development and Director of Industries and Commerce	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary to Governor	PB-4 + GP Rs.10000/-
Registrar of Co-op. Societies and Director of Co-operative Audit	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Food & Civil Supplies	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Transport & Road Safety	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Public Instructions, Bangalore	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Collegiate Education	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Agriculture	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Health & Family Welfare Services	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Watershed Development & E/o Secy. Agriculture & Horticulture	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Labour	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Social Welfare	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Employment & Training	PB-4 + GP Rs.10000/-
Member, KAT	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner, Bangalore Development Authority	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner, Karnataka Housing Board	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner, Rural Development	PB-4 + GP Rs.10000/-
Chairman, Bangalore Water Supply & Sewerage Board	PB-4 + GP Rs.10000/-
Registrar Lokayukta	PB-4 + GP Rs.10000/-
Managing Director, Karnataka State Industrial Infrastructure Development Corporation	PB-4 + GP Rs.10000/-
Managing Director, Karnataka State Tourism Development Corporation	PB-4 + GP Rs.10000/-
Managing Director, Bangalore Metropolitan Transport Corporation	PB-4 + GP Rs.10000/-

(b) In “Schedule II - Part B” Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special allowance in addition to pay, for the entries occurring under ‘Karnataka’, the following shall be substituted, namely :—

Secretary, KPSC
Director of Agricultural Marketing
Director of P.U. Education
Director of Municipal Administration
Commissioner for Religious & Charitable Endowment

Deputy Secretary, DPAR (Services) DPAR & Deputy Secretary (Budget & Resources) Finance Department
Director, Women & Child Welfare Dept.
Dir. I.T & B.T.
Director, Karnataka Rural Water Supply & Sanitation Agency & E/o Addl./Jt. Secy. to Govt. RD & PR Dept.
Deputy Commissioner
Chief Executive Officer, Zilla Panchayat
Director, Rural Energy Programme & EO AS/JS/DS to Govt. RDPR Department
Mission Director, State Water & Sanitation Mission & E/o AS/JS/DS to Govt. RDPR
Director Horticulture & Director National Horticulture Mission & E/o AS/JS/DS to Govt. Horticulture Department
Director Mines & Geology & E/o AS/JS/DS to Govt. C&I Department
Managing Director, Rajiv Gandhi Rural Housing Corporation Limited
Managing Director, Karnataka State Highways Improvement Programme
Managing Director, Karnataka State Beverages Corporation Limited
Managing Director, Karnataka State Small Scale Industries Development Corporation
Managing Director, Mysore Minerals Limited
Managing Director, Karnataka Handlooms Development Corporation
Managing Director, Karnataka Rural Infrastructure Development Corporation
Managing Director, Directorate of Command Areas Development Authority
Managing Director, Cauvery Neeravary Nigam Limited
Managing Director, Kaveri Jal Bhagya Nigam Limited
Managing Director, Karnataka Urban Infrastructure Development Corporation
Managing Director, BESCO
Managing Director, HESCO
Managing Director, GESCOM
Managing Director, CHESCO
Director Municipal Administration
Director, Tourism
Chief Executive Officer, Karnataka Industrial Areas Development Board
Commissioner, Hubli-Dharwad Municipal Corporation
Commissioner, Mysore Municipal Corporation

[No. 11031/2/2013- AIS-II (B)] ”

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (Services)

Note : —The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, *vide* G.S.R. No. 213(E), dated the 20.03.2008 and subsequently were amended *vide* G.S.R. No.665(E), dated 19.09.2008, 123(E), dated 15.04.2009, G.S.R. No. 542(E) dated 21.07.2009, G.S.R. No. 572(E) dated 13.08.2009, G.S.R. No. 820 dated 12.11.2009, G.S.R. No. 72(E), dated 10.02.2010, G.S.R. No.102 (E), dated 25.2.2010, G.S.R. No. 191(E), dated 12.03.2010, G.S.R. No. 298(E), dated 08.04.2010, G.S.R. No. 397(E), dated 11.05.2010, G.S.R. No. 404(E), dated 13.05.2010, G.S.R. No. 413(E), dated 17.05.2010, G.S.R. No. 432(E), dated 20.05.2010, G.S.R. No. 434(E), dated 20.05.2010, G.S.R. No. 451(E), dated 26.05.2010, G.S.R. No. 689(E), dated 19.08.2010, G.S.R. No. 836(E), dated 13.10.2010, G.S.R. No.

899(E), dated 09.11.2010, G.S.R. No. 954(E), dated 06.12.2010, G.S.R. No. 920(E), dated 30.12.2011, G.S.R. No. 922(E), dated 30.12.2011 G.S.R. No. 94(E), dated 16.02.2012, G.S.R. No. 115(E), dated 28.03.2012, G.S.R. No. 325(E), dated 26.04.2012, G.S.R. No. 941(E), dated 28.12.2012, G.S.R. No. 55(E), dated 31.01.2013, G.S.R. No. 104(E), dated 18.02.2013, G.S.R. No. 602(E), dated 06.09.2013 and G.S.R. No. 604(E), dated 06.09.2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 46(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियमावली, 2014 होगा ।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “बिहार” शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“बिहार

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद	186
मुख्य सचिव	1
अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व बोर्ड	1
विकास आयुक्त	1
कृषि उत्पादन आयुक्त	1
मुख्य सलाहकार, बिहार राज्य योजना बोर्ड	1
प्रधान सचिव(वित्त)	1
प्रधान सचिव(गृह)	1
प्रधान सचिव, सतर्कता विभाग	1
प्रधान सचिव, जल संसाधन	1
प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार	1
प्रधान सचिव, उद्योग	1
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग	1
प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार	1
प्रधान सचिव, सड़क निर्माण विभाग	1
महानिदेशक, बिहार लोक प्रशास और ग्रामीण विकास, पटना संस्थान	1
प्रधान निवासी आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली	1

मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	1
प्रधान सचिव, जीएडी	1
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	1
अध्यक्ष, बिहार चयन आयोग	1
विभागीय जांच आयुक्त, जीएडी	1
राज्यपाल के प्रधान सचिव	1
प्रधान सचिव	8
सरकार के सचिव	23
सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	1
सचिव, संसदीय कार्य विभाग	1
सचिव, कृषि विभाग	1
सलाहकार, बिहार राज्य योजना बोर्ड	1
निवासी आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली	1
सदस्य, राजस्व बोर्ड	1
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1
सचिव, ऊर्जा विभाग	1

प्रभागीय आयुक्त	9
सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1
सचिव, भवन निर्माण विभाग	1
सचिव, पीएचई विभाग	1
लोकायुक्त के सचिव	1
सचिव, पंजीयक, उत्पाद-शुल्क और निषेध विभाग	1
सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय	1
आईजी कारावास	1
परियोजना निदेशक, बिहार एड्स समिति	1
राजस्व बोर्ड के अपर सदस्य	1
विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव	40
जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर/अपर डीएम	38
पंजीयक, सहकारी समितियां	1
सचिव, राजस्व बोर्ड	1
राज्य परिवहन आयुक्त	1
श्रम आयुक्त	1
गन्ना आयुक्त	1
सीईओ सह नगरपालिका आयुक्त, पटना नगर निगम	1

	आयुक्त, एमएनआरईजीए	1
	उत्पाद-शुल्क आयुक्त-सह-आईजी पंजीकरण	1
	निदेशक	19
1.	कुल वरिष्ठ इयूटी पद	186
2.	सीडीआर उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	74
3.	एसडीआर उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	46
4.	टीआर उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	6
5.	एलआर और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	30

6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	104
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6)	238
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	342

[सं.11031/9/2013-अ.भा.से.-II(क)"]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी (1):—इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, बिहार संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 326 थी ।

टिप्पणी (2):—मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात्, ये बिहार संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	तिथि	क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	तिथि
1	3059	12.12.56	11	342(अ)	29.03.94
2	481	30.04.60	12	319(अ)	31.03.95
3	1147	14.08.65	13	739(अ)	31.12.97
4	349	16.03.67	14	209	31.10.98
5	375(अ)	26.08.71	15	429	18.12.04
6	60(अ)	31.01.75	16	170(अ)	02.03.07
7	649(अ)	27.11.79	17	279(अ)	10.04.07
8	106	02.02.85	18	898(अ)	30.12.2008
9	1007	31.12.88	19	188(अ)	24.03.2009
10	393	30.06.90			

NOTIFICATION

New Delhi, 22nd January, 2014

G.S.R. 46(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the

Central Government, in consultation with the Government of Bihar, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading “Bihar” and the entries occurring there under, the following shall be substituted namely :—

“Bihar

Senior Duty Posts under the State Government	186
Chief Secretary	1
Chairman-cum-Member, Board of Revenue	1
Development Commissioner	1
Agriculture Production Commissioner	1
Chief Advisor, Bihar State Planning Board	1
Principal Secretary, (Finance)	1
Principal Secretary, (Home)	1
Principal Secretary, Vigilance Department	1
Principal Secretary, Water Resources	1
Principal Secretary, Revenue & Land Reforms	1
Principal Secretary, Industries	1
Principal Secretary, Education Department	1

Principal Secretary, Election Department-cum-Chief Electoral Officer, Bihar	1
Principal Secretary, Road Construction Department	1
Director General, Bihar Institute of Public Admn. & Rural Development, Patna	1
Principal Resident Commissioner, Bihar Bhavan, New Delhi	1
Principal Secretary to Chief Minister	1
Principal Secretary, GAD	1
Principal Secretary, Health Department	1
Chairman, Bihar Staff Selection Commission	1
Departmental Enquiry Commissioner, GAD	1
Principal Secretary to Governor	1
Principal Secretary	8
Secretary to Government	23
Secretary, Disaster Management Department	1
Secretary, Parliament Affairs Department	1
Secretary, Agriculture Department	1
Advisor, Bihar State Planning Board	1
Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi	1
Member, Board of Revenue	1
Secretary to Governor	1
Secretary to Chief Minister	1
Secretary, Food & Consumer Protection Department	1
Secretary, Energy Department	1
Divisional Commissioner	9
Secretary, Science & Technology Department	1
Secretary, Building Construction Department	1
Secretary, PHE Department	1
Secretary to Lok Ayukta	1
Secretary, Registration, Excise & Prohibition Department	1
Secretary, Cabinet Secretariat	1
IG Prisons	1
Project Director, Bihar AIDS Society	1
Additional Member, Board of Revenue	1
Special/Additional/Joint/Deputy Secretary	40
District Magistrate & Collector/Addl.D.M	38

	Registrar, Cooperative Societies	1
	Secretary, Board of Revenue	1
	State Transport Commissioner	1
	Labour Commissioner	1
	Sugar Cane Commissioner	1
	CEO cum Municipal Commissioner, Patna Municipal Corporation	1
	Commissioner, MNREGA	1
	Excise Commissioner-cum-IG Registration	1
	Directors	19
1.	Total Senior Duty Posts	186
2	CDR not exceeding 40% of item 1 above	74
3	SDR not exceeding 25% of Item 1 above	46
4	TR not exceeding 3.5% of Item 1 above	6
5	LR and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	30
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1,2,3 & 4 above	104
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	238
	Total Authorized Strength	342

[No. 11031/9/2013- AIS-II (A)"]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (Services)

Note (1) :—Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Bihar Cadre was 326.

Note (2) :—The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Bihar Cadre by the following GSR Nos. and dates:

Sl.No.	GSR Nos.	DATE	Sl.No.	GSR Nos.	DATE
1	3059	12.12.56	11	342(E)	29.03.94
2	481	30.04.60	12	319(E)	31.03.95
3	1147	14.08.65	13	739(E)	31.12.97
4	349	16.03.67	14	209	31.10.98
5	375(E)	26.08.71	15	429	18.12.04
6	60(E)	31.01.75	16	170(E)	02.03.07
7	649(E)	27.11.79	17	279(E)	10.04.07
8	106	02.02.85	18	898(E)	30.12.2008
9	1007	31.12.88	19.	188(E)	24.03.2009
10	393	30.06.90			

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 47(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, बिहार सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियमावली, 2014 कहलाएंगे।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-

“अनुसूची II, भाग क” में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों” की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली ‘बिहार’ प्रविष्टि और दूसरे

कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

“बिहार

मुख्य सचिव	80,000/- रु. (नियत)
अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व बोर्ड	80,000/- रु. (नियत)
विकास आयुक्त	80,000/- रु. (नियत)
कृषि उत्पादन आयुक्त	80,000/- रु. (नियत)
मुख्य सलाहकार, बिहार राज्य योजना बोर्ड	80,000/- रु. (नियत)

प्रधान सचिव(वित्त)	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव(गृह)	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, सतर्कता विभाग	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, जल संसाधन	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, उद्योग	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, सड़क निर्माण विभाग	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
महानिदेशक, बिहार लोक प्रशास और ग्रामीण विकास, पटना संस्थान	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान निवासी आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-

मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, जीएडी	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-

	वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
अध्यक्ष, बिहार चयन आयोग	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
विभागीय जांच आयुक्त, जीएडी	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
राज्यपाल के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान- 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
सरकार के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, संसदीय कार्य विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, कृषि विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सलाहकार, बिहार राज्य योजना बोर्ड	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
निवासी आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सदस्य, राजस्व बोर्ड	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
राज्यपाल के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
मुख्य मंत्री के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, ऊर्जा विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
प्रभागीय आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, विज्ञान और प्रयोगिकी विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, भवन निर्माण विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, पीएचई विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
लोकायुक्त के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, पंजीयक, उत्पाद-शुल्क और निषेध विभाग	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
आईजी कारावास	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
परियोजना निदेशक, बिहार एड्स समिति	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.
राजस्व बोर्ड के अपर सदस्य	पीबी-4 + जीपी 10000/- रु.

(ख) “ अनुसूची II- भाग ख” में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में ‘बिहार’ शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव

जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर/अपर डीएम

पंजीयक, सहकारी समितियां

सचिव, राजस्व बोर्ड
राज्य परिवहन आयुक्त
श्रम आयुक्त
गन्ना आयुक्त
सीईओ सह नगरपालिका आयुक्त, पटना नगर निगम
आयुक्त, एमएनआरईजीए
उत्पाद-शुल्क आयुक्त-सह-आईजी पंजीकरण
निदेशक

[सं.11031/9/2013-अ.भा.से.-॥(ख)"]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी :-मुख्य नियम 20.03.2008 की जी.एस.आर. 213 (अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में जी.एस.आर. सं. 665(अ) दिनांक 19.09.2008, 123(अ) दिनांक 15.04.2009, जी.एस.आर. सं. 542(अ) दिनांक 21.07.2009, जी.एस.आर. सं. 572(अ) दिनांक 13.08.2009, जी.एस.आर. सं. 820 दिनांक 12.11.2009, जी.एस.आर. सं. 72(अ) दिनांक 10.02.2010, जी.एस.आर. सं. 102(अ) दिनांक 25.2.2010, जी.एस.आर. सं. 191(अ) दिनांक 12.03.2010, जी.एस.आर. सं. 298(अ) दिनांक 08.04.2010, जी.एस.आर. सं. 397(अ) दिनांक 11.05.2010, जी.एस.आर. सं. 404(अ) दिनांक 13.05.2010, जी.एस.आर. सं. 413(अ) दिनांक 17.05.2010, जी.एस.आर. सं. 432(अ) दिनांक 20.05.2010, जी.एस.आर. सं. 434(अ) दिनांक 20.05.2010, जी.एस.आर. सं. 451(अ) दिनांक 26.05.2010, जी.एस.आर. सं. 689(अ) दिनांक 19.08.2010, जी.एस.आर. सं. 836(अ) दिनांक 13.10.2010, जी.एस.आर. सं. 899(अ) दिनांक 09.11.2010, जी.एस.आर. सं. 954(अ) दिनांक 06.12.2010, जी.एस.आर. सं. 920(अ) दिनांक 30.12.2011, जी.एस.आर. सं. 94(अ) दिनांक 16.02.2012, जी.एस.आर. सं. 115(अ) दिनांक 28.03.2012, जी.एस.आर. सं. 325(अ) दिनांक 26.04.2012, जी.एस.आर. सं. 941(अ) दिनांक 28.12.2012, जी.एस.आर. सं. 55(अ) दिनांक 31.01.2013, जी.एस.आर. सं. 104(अ) दिनांक 18.02.2013, जी.एस.आर. सं. 602(अ) दिनांक 06.09.2013 और जी.एस.आर. सं. 604(अ) दिनांक 06.09.2013 द्वारा संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2014

G.S.R. 47(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 2014.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:—

In “Schedule II-Part A” posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments”, in the table, for the entry ‘Bihar’ occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely :

“BIHAR

Chief Secretary	Rs.80000/-(fixed)
Chairman-cum-Member, Board of Revenue	Rs.80000/-(fixed)
Development Commissioner	Rs.80000/-(fixed)
Agriculture Production Commissioner	Rs.80000/-(fixed)
Chief Advisor, Bihar State Planning Board	Rs.80000/-(fixed)
Principal Secretary, (Finance)	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary, (Home)	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary, Vigilance Department	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-

Principal Secretary Water Resources	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary, Revenue & Land Reforms	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary, Industries	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary, Education Department	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary, Election Department-cum-Chief Electoral Officer, Bihar	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary, Road Construction Department	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Director General, Bihar Institute of Public Admn. & Rural Development, Patna	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Resident Commissioner, Bihar Bhavan, New Delhi	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary to Chief Minister	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary, GAD	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary, Health Department	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Chairman, Bihar Staff Selection Commission	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Departmental Enquiry Commissioner, GAD	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary to Governor	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary	HAG Scale – Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-

Secretary to Government	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary, Disaster Management Department	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary, Parliament Affairs Department	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary, Agriculture Department	PB-4 + GP Rs.10000/-
Advisor, Bihar State Planning Board	PB-4 + GP Rs.10000/-
Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi	PB-4 + GP Rs.10000/-
Member, Board of Revenue	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary to Governor	PB-4 + GP Rs.10000/-

Secretary to Chief Minister	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary, Food & Consumer Protection Department	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary, Energy Department	PB-4 + GP Rs.10000/-
Divisional Commissioner	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary, Science & Technology Department	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary, Building Construction Department	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary, PHE Department	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary to Lok Ayukta	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary, Registration, Excise & Prohibition Department	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary, Cabinet Secretariat	PB-4 + GP Rs.10000/-
IG Prisons	PB-4 + GP Rs.10000/-
Project Director, Bihar AIDS Society	PB-4 + GP Rs.10000/-
Additional Member, Board of Revenue	PB-4 + GP Rs.10000/-

(b) In “Schedule II - Part B” Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special allowance in addition to pay, for the entries occurring under ‘Bihar’, the following shall be substituted, namely:—

Special/Additional/Joint/Deputy Secretary
District Magistrate & Collector/Addl. DM
Registrar, Cooperative Societies
Secretary, Board of Revenue
State Transport Commissioner
Labour Commissioner
Sugar Cane Commissioner
CEO cum Municipal Commissioner, Patna Municipal Corporation
Commissioner, MNREGA
Excise Commissioner-cum-IG Registration
Directors

[No. 11031/9/2013- AIS-II (B)] ”

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (Services)

Note :—The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide GSR No. 213(E) dated the 20.03.2008 and subsequently were amended vide GSR No. 665(E) dated 19.09.2008, 123(E) dated 15.04.2009, GSR No. 542(E) dated 21.07.2009, GSR No. 572(E) dated 13.08.2009, GSR No. 820 dated 12.11.2009, GSR No. 72(E) dated 10.02.2010, GSR No.102(E) dated 25.2.2010, GSR No. 191(E) dated 12.03.2010, GSR No. 298(E) dated 08.04.2010, GSR No. 397(E) dated 11.05.2010, GSR No. 404(E) dated 13.05.2010, GSR No. 413(E) dated 17.05.2010, GSR No. 432(E) dated 20.05.2010, GSR No. 434(E) dated 20.05.2010, GSR No. 451(E) dated 26.05.2010, GSR No. 689(E) dated 19.08.2010, GSR No. 836(E) dated 13.10.2010, GSR No. 899(E) dated 09.11.2010, GSR No. 954(E) dated 06.12.2010, GSR No. 920(E) dated 30.12.2011, GSR No. 922(E) dated 30.12.2011 GSR No. 94(E) dated 16.02.2012, GSR No. 115(E) dated 28.03.2012, GSR No. 325(E) dated 26.04.2012, GSR No. 941(E) dated 28.12.2012, GSR No. 55(E) dated 31.01.2013, GSR No. 104(E) dated 18.02.2013, GSR No. 602(E) dated 06.09.2013 and GSR No. 604(E) dated 06.09.2013.